(17)

125

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ब्रेंच रीवा (म0प्र0)

R-3302-II/12

1 बैजनाथ तनय रामस्वरूप ब्रा0 साकिन डढवा तह0गुढ, जिलारीवा म0प्र0

2 रामसुशील तनय छोटेलाल विश्वकर्मा साकिन डढवा तह0गुढ, जिला रीवाम0प्र0

निगरानीकर्तागण

बनाम

1 रामचरण तनय शिवबालक विश्वकर्मा, साकिन डढवा तह0गुढ, जिला रीवाम0प्र0

2 शासन म0प्र0

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेशश्रीमान नायबतहसीलदार सा0तह0गुढ. प्र.क्र. 19अ12/2010.2011 आदेश दिनांक 19.7.12.

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959.

-------

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकारहै कि गैर निगरानीकर्ता रामचरणद्वारा तह0 न्यायालय गुढमेंआ0ख0क्र0 714/3, 758, 758/1, 759/1, 760/3, रकवाक्रमशः 0.441, 0.045, 0.093, 0.045, 0.112 हे. केसीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुतकियागया नायबतहसीलदार द्वारा सीमांकन कार्य सम्पादनहेतु राजस्व निरीक्षक दुआरी को आदेशित किया गया राजस्वनिरीक्षकदुआरी द्वारा बिनासरहदी काश्तकारोंको सूचना दिए हीमनमानीतौर पर निगरानीकर्तागण की भूमियां गैरनिगरानीकर्ता कीओर नापतेहुए सीमांकन किया गया व प्रतिवेदन श्रीमान नायब तहसीलदार गुढ के समक्ष प्रस्तुत कियागया। नायब तहसीलदार गुढ के

(17)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3302–दो / 2012 जिला–रीवा

बैजनाथ ब्रा0 / रामचरण विश्वकर्मा

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 19 / अ–12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा)<br>सदस्य | |